भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 347
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि का मशीनीकरण

***347. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा दो हेक्टेयर से कम छोटे और सीमांत भूमिक्षेत्र हेतु कृषि में मशीनों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) देश भर में कितने 'कस्टम हायरिंग केंद्र' और 'कृषि मशीनरी बैंक' हैं;

(ग) पंचायत और तालुका स्तर पर ऐसे केंद्रों की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का यह आकलन करने हेतु कोई व्यापक अध्ययन करने का इरादा है कि वर्तमान में देश में कृषि में मशीनों का कितना उपयोग किया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार का कृषि उपकरणों के डिजाइन के मानकीकरण के संबंध में कोई नीति लाने का इरादा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“कृषि का मशीनीकरण” के संबंध में लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तरार्थ श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 347 के भाग (क) से (च) का उल्लिखित विवरण

(क): सरकार हमेशा से ही कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देती रही है जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों तथा उन क्षेत्रों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाना है जहां फार्म पावर की उपलब्धता कम है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, राज्य सरकारों के माध्यम से वर्ष 2014-15 से केंद्रीय प्रायोजित 'कृषि मशीनीकरण उप-मिशन' (एस.एम.ए.एम.) को लागू कर रहा है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि मशीनों और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किराये पर मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर (सी.एच.सी.) और ग्राम स्तरीय फार्म मशीनरी बैंकों (एफ.एम.बी.) की स्थापना के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क्रॉप रेसेड्यू मैनेजमैंट (सी.आर.एम.) योजना, वर्ष 2018-19 से मुख्य रूप से वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार के प्रयासों का सहयोग करने और फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी पर सब्सिडी देने के लिए लागू की गई है।

(ख) और (ग): एस.एम.ए.एम. के अंतर्गत, 2.50 करोड़ तक की परियोजना के लिए सी.एच.सी. की स्थापना हेतु ग्रामीण उद्यमियों (ग्रामीण युवा और उद्यमी के रूप में किसान), किसान सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.), पंजीकृत किसान समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) और पंचायतों को परियोजना लागत के 40% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 30 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए एफ.एम.बी. की स्थापना हेतु किसानों की सहकारी समितियों, पंजीकृत किसान समितियों, स्वयं सहायता समूहों, एफ.पी.ओ. और पंचायतों को परियोजना लागत के 80% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में एफ.एम.बी. की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की दर परियोजना लागत की 95% है। क्रॉप रेसेड्यू मैनेजमेंट मशीनों के सी.एच.सी. की स्थापना के लिए सी.आर.एम. योजना के अंतर्गत परियोजना लागत की 80% की दर से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

एस.एम.ए.एम. की शुरुआत से लेकर दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों को 8110.24 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। राज्यों ने एकल स्वामित्व के आधार पर किसानों को 19.51 लाख से अधिक मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराए हैं और विभिन्न राज्यों में 52,000 से अधिक सी.एच.सी./हाई-टेक हब/एफ.एम.बी. स्थापित किए गए हैं। सी.आर.एम. योजना के तहत, वर्ष 2018-19 से 2024-25 (दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार) की

अवधि के दौरान 3607.88 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। राज्यों ने क्रॉप रेसेड्यू मैनेजमेंट मशीनों के 41,900 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर (सी.एच.सी.) स्थापित किए हैं और इन सी.एच.सी. और राज्य में किसानों को 3.23 लाख से अधिक क्रॉप रेसेड्यू मैनेजमेंट मशीनों की सप्लाई की गई है।

(घ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जुलाई, 2024 में 'भारत में कृषि मशीनीकरण और कस्टम हायरिंग की स्थिति का आकलन' पर अध्ययन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के तहत केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान (सीआईएई), भोपाल (मध्य प्रदेश) को सौंपा है।

(ङ) और (च): भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) ने क्वालिटी, सेफ्टी, रिलायबिलिटी को बढ़ावा देने और सर्टिफिकेशन व टेस्टिंग के माध्यम से उपयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने के लिए कृषि मशीनरी क्षेत्र में 296 भारतीय मानक जारी किए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधीनस्थ चार फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स (एफ.एम.टी.टी.आई.) और आई.सी.ए.आर. संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एस.ए.यू.) और राज्य कृषि विभागों में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा नामित/अनुमोदित 39 अन्य टेस्टिंग सेंटर इन स्टैंडर्ड्स के अनुसार कृषि मशीनों और उपकरणों का परीक्षण कर रहे हैं। केवल इन संस्थानों द्वारा टेस्ट की गईं मशीनों को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की योजनाओं के तहत बढ़ावा दिया जाता है।

*****